प्राइम टीवी के शो एलायंस में नज़र आएंगे सोहेल खान

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 02 जुलाई। पिछले कुछ सालों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाले रियलिटी शोज दर्शकों को काफी पसंद आ रहे है। ऐसा ही एक रियलिटी शो है एलायंस जिसे अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट कर रहे है जो प्रतिदिन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है। यह शो अपने अलग अंदाज और फॉर्मेट की वजह से दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शो में प्रतियोगियों को गठबंधन बनाकर, भरोसा जीतकर और रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होता है।

शो में कुशाल टंडन, वंशज सिंह, रवि किशन, पायल गेमिंग, डेज़ी शाह जैसे 16 प्रसिद्ध कलाकार नज़र आ रहे है। इन सभी कलाकारों के अलावा कई सारी बॉलीवुड फिल्मो में नज़र आ चुके अभिनेता सोहैल खान भी जल्द ही इस शो का हिस्सा बनेगे। सोहेल शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होंगे। इस बात की पुष्टि खुद सोहेल खान ने कि है।

सोहेल का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह कभी किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे लेकिन जब उन्हें एलायंस का ऑफर आया तो वह इस शो के बारे में सुनकर काफी उत्सुक हुए।

शो के फॉर्मेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एलायंस का फॉर्मेट उन्हें काफी पसंद आया क्योंकि इसमें भरोसे, रिश्तों और रणनीति की एक अहम भूमिका है। सोहेल का कहना है कि शो में किसी पर परिवार के नाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ किसी को फरक नहीं पड़ता आप किसके भाई हो या कहा से आ रहे हो। यहां सिर्फ आप गेम कैसे खेल रहे हो वो मायने रखता है। सोहेल का कहना है कि शो में सिर्फ मैं हूं, मेरा दिमाग है और मैं गेम कैसे खेलता हूं वो होगा। शो में मैं वही करुंगा जो मेरा दिल चाहता है और मै जैसा बाहर हु वैसा ही शो में भी रहूंगा और अपना गेम खेलूंगा।

अभाविप का एमएलबी कॉलेज में प्रदर्शन

ग्वालियर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। संगठन ने परिसर में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। अभाविप ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी।

NAME CHANGE

I, **NEERAJ DOULTANI S/O TEJ BHAN DOULTANI** Resident of RAM MANDIR GALI, DAL BAZAR, Lashkar Gwalior (M.P.) Pin- 474009 have changed my name from **NEERAJ DOULTANI** to **NEERAJ DAULTANI**, and my Father's name from TEJ BHAN DOULTANI to TEJ BHAN DAULTANI for all future purposes. Their spellings were wrongly mentioned in my 10th marksheet and PAN card. Correct names as per Aadhaar card are NEERAJ DAULTANI S/O TEJ BHAN DAULTANI.

Informed vide Affidavit No. CB 954214 Dated 01/07/2026 before High Court, Gwalior (M.P.).

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं **तरसेम सिंह संधू TARSEM SINGH SANDHU** पुत्र श्री प्रीतम सिंह **PRITAM SINGH** निवासी- ग्राम फतेहपुर पोस्ट पिपहाडी गोहद जिला भिण्ड म.प्र. पिन-477116 यह कि मुझ प्रार्थी का पूर्व में नाम **तरसेम सिंह TARSEM SINGH** था चूंकि अब मैनें अपना नाम **तरसेम सिंह संधू TARSEM SINGH SANDHU** कर लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में भी अंकित है। अतः भविष्य में मुझे **तरसेम सिंह TARSEM SINGH** के स्थान पर **तरसेम सिंह संधू TARSEM SINGH SANDHU** के नाम से जाना व पहचाना जावे।

सूचनाकर्ता
तरसेम सिंह संधू पुत्र श्री प्रीतम सिंह
निवासी- ग्राम- फतेहपुर, पोस्ट- पिपहाडी, गोहद, जिला- भिण्ड म.प्र. पिन- 477116

संबंध विच्छेद आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार बलराम कुशवाह पुत्र स्व. श्री नंदलाल कुशवाह निवासी भवन क्र. 129 विनय नगर सेक्टर नं03 ग्वालियर के पुत्र राकेश कुमार का आचरण विगत कई वर्षो से मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन के साथ अत्याधिक अभद्रता का है जो कि आये दिन मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन के साथ गाली गलोंज लड़ाई झगड़ा करता है प्रार्थी व उसकी वृद्ध पत्नी व अन्य परिवारजन को शांति से निवास नही करने दे रहा है प्रार्थी के भवन की अवैधानिक रूप से तोड़फोड़ कर देता है जबकि राकेश कुमार विगत 20 वर्षो से प्रार्थी व परिवारजन से अलग निवास कर रहा है। मेरा पक्षकार व उसके परिवारजन राकेश कुमार के उपरोक्त क्रूरतापूर्ण आचरण से अत्याधिक परेशान व प्रताड़ित हो जाने से मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन ने राकेश कुमार से अपने सारे नाते रिश्ते समाप्त कर संबंध विच्छेद कर लिया है और मेरे पक्षकार ने अपने पुत्र राकेश कुमार को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से वेदखल कर दिया है। अतः मेरे पक्षकार के पुत्र राकेश कुमार के किसी भी कृत्य व संव्यवहार के लिये वह स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा, मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन की कही कोई जवावदारी नही होगी।
दिनाक- 2-7-2026

प्रेषक : बलराम कुशवाह पुत्र स्व. श्री नंदलाल कुशवाह निवासी भवन क0 129, विनय नगर सेक्टर नं03 ग्वालियर म.प्र.
द्वारा : सतेन्द्र सिह सिकरवार (एडवोकेट)
, पता- ए-31, आनंद नगर, खजूर वाली माता के वगल में, बहोड़ापुर ग्वालियर म.प्र.
मो.नं. 9407099329

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मैं No. 15703180X Rank- Hav Name Sooryabhan Singh Gurjar Unit 17 CSR, Residing Vill-Arora, Post Behat, Dist- Gwalior (M.P.) Pin-475002 सूचित करता हूं कि- मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम **Dhaniram Singh Gurjar** एवं **D.O.B. 01/07/1958** त्रुटिवश अंकित है। अतः मेरे पिताजी का नाम **Dhaniram Gurjar** एवं सही **D.O.B. 01/01/1965** को मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। **सत्यापित एफीडेविट नं.** BX 603893 & Date-01.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा नीतू नामदेव पत्नी श्री बैजनाथ नामदेव ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र.13 का भाग स्थित ग्राम अकबरपुर जिला ग्वालियर मे है, जो कि सर्वे क्र 361/1/1 का भाग 600 वर्गफुट है। जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण वीरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, ज्ञानसिंह पुत्रगण स्व.श्री उदयसिंह के सहभूस्वामी श्रीमती विडोबाई पत्नी स्व.श्री उदयसिंह की काश्त की कृषि भूमि खसरे में सयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत हत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में प्लॉट क्र. 13 का भाग पश्चिम में प्लॉट क्र. 14 व 15 उत्तर में रोड दक्षिण में प्लॉट क्र. 17 जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण वीरेन्द्र सिंह के पिता उदयसिंह पुत्र स्व. श्री नत्थी सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वारिसान की हैसियत से वीरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, ज्ञानसिंह पुत्रगण स्व.श्री उदयसिंह एंव श्रीमती विडोबाई पत्नी स्व.श्री उदयसिंह, राजस्व अभिलेख मे भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण वीरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, ज्ञानसिंह पुत्रगण स्व.श्री उदयसिंह के द्वारा अचल संपत्ति प्लॉट क्र.13 का भाग कुल क्षेत्रुफल 600 वर्गफुट मेरी पक्षकारा नीतू नामदेव पत्नी श्री बैजनाथ नामदेव को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के परिवारिक सदस्य या सहभूस्वामी श्रीमती विडोबाई पत्नी स्व.श्री उदयसिंह को कोई उज्ज व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 15 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा नीतू नामदेव पत्नी श्री बैजनाथ नामदेव अचल संपत्ति प्लॉट क्र.13 का भाग कुल क्षेत्रुफल 600 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा जैना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रही है।
दिनांक 02.07..2026, स्थान ग्वालियर
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार,ग्वालियर
मो. 9300981954

भूल सुधार

सर्वसाधारण को सूचित हो। कि दि. 30/05/2026 को कुलदीप मिश्रा पुत्र सुमन कुमार मिश्रा ने एक भवन जो भूखण्ड क्र. 30 एवं भूखण्ड क्र. 29 के भाग, ब्लॉक - ए, पर निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट है, स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी, वार्ड क्र. 21, गोसपुरा, ग्वालियर में है, को क्रय करने का अनुबंध सम्पत्ति स्वामी अजय कुमार टण्डन पुत्र स्व. अमीबिन्दु टण्डन एवं श्रीमती उर्मी टण्डन पत्नी अजय कुमार टण्डन से किया है, के संबंध में 'नवभारत' समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें भूलवश सम्पत्ति की चतुर्सीमा पूर्व में -भूखण्ड क्र. 28 एवं भूखण्ड भाग क्र. 29,ए पर निर्मित भवन, पश्चिम में - भूखण्ड क्र. 28 एवं भूखण्ड भाग क्र. 29,ए, दक्षिण में -भूखण्ड क्रं. 29ए का भाग गलत हो गई थी जबकि सही चतुर्सीमा पूर्व में - भूखण्ड क्र. 29,ए पर निर्मित भवन, पश्चिम में - भूखण्ड क्र. 31,ए पर निर्मित भवन, दक्षिण में -भूखण्ड क्र. 36,ए पर निर्मित भवन है, जो पढ़ा व समझा जावे।

प्रेषकः कौशल पाराशर एवं सुमित तिवारी (एडवोकेट्स)
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट, जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर, ग्वालियर, मोबा: 98931-14325

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मैं No. 15703180X Rank- Hav Name Sooryabhan Singh Gurjar Unit 17 CSR, Residing Vill-Arora, Post Behat, Dist- Gwalior (M.P.) Pin-475002 सूचित करता हूं कि- मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी माताजी का नाम **YASODA BAI** एवं **D.O.B. 01/07/1963** त्रुटिवश अंकित है। अतः मेरी माताजी का नाम **JASODA BAI** एवं सही **D.O.B. 01/01/1965** को मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। **सत्यापित एफीडेविट नं.** BX 603894 & Date- 01.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

आम सूचना

श्री उमाचरण पुत्र श्री मोहन सिंह एवं श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री उमाचरण के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित प्रेमपुरा ग्राम पिछोर, प.ह.नं.33, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर पालिका डबरा वार्ड क्र.02 में स्थित है जिसका भदन क्र. 19 होकर सम्पत्ति क्र. 7002195449 है एवं जिसका क्षेत्रफल 591.8 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भवन मदनलाल, पश्चिम में रास्ता 12 फुट चौड़ा, उत्तर में-भवन जीतू शाक्य एवं दक्षिण में-भवन वैजनाथ है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में नगर पंचायत पिछोर के रिकॉर्ड वर्ष 2012-13 के अनुसार, श्री बैजनाथ, श्री मोहनलाल पुत्रगण श्री डमरूआ राम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मोहनलाल का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2022 को हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री उमाचरन, श्री नारायण पुत्रगण स्व. श्री मोहनलाल, ईमरती, विमला, आरती, रामबाई पुत्रियां स्व. श्री मोहनलाल उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर परिषद पिछोर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री उमाचरण पुत्र श्री मोहन सिंह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री उमाचरण के हित में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र. एमपी 21 आईजीआर 17392026ए 100636832 दिनांक 27.06.2026 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति से संबंधित वर्ष 2026 से पूर्व कोई भी अन्य रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री उमाचरण एवं श्रीमती लक्ष्मी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सितारा हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सम्पत्ति के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री मोहनलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा वर्ष 2026 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

क्षेत्र में जनसुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : कुशवाह

ग्वालियर, 02 जुलाई। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि क्षेत्र के विकास एवं जनसुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ विभिन्न विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं, ताकि सभी वर्गों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। मंत्री श्री कुशवाह ने गुरुवार को लश्कर क्षेत्र में लाला का बाजार के चमत्कारी हनुमान मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत 10 लाख रुपये की लागत से गोड़िया समाज के लिए निर्मित होने वाले कम्युनिटी हॉल का भूमिपूजन क्षेत्र की कन्याओं के हाथों से कराया। मंत्री श्री कुशवाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रस्तावित कम्युनिटी हॉल समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

CHANGE OF NAME

I, SANTHI DEVI mother of **MAHARSHI KUMAR KAMAL,** Presently residing at Village Ram Nagar, Post Sakri, Tehsil-Dawath, District Rohtas, State Bihar, Pin- 802226 have changed my name from **SANTHI DEVI to SHANTI DEVI** Vide Affidavit No. CB 908161 & Date 02.06.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

नाम परिवर्तन सूचना

नाम : अजय धाकरे **(AJAY DHAKRE)**
निवासी- विक्रम नगर वेयर हाउस रोड, मुरैना, मुरैना म.प्र. पिन- 476001

मैं सर्वसाधारण को शपथ-पूर्वक सूचित करता हूँ कि:1. यह कि मेरे पुत्र का सही नाम व पिता का नाम कुनाल धाकरे (KUNAL DHAKRE) पुत्र अजय धाकरे (AJAY DHAKRE) है, और उसका यही नाम उसकी पी. एम. श्री केद्रीय विद्यालय मुरैना म. प्र. की कक्षा III A के रिपोर्ट कार्ड पर भी लिखा हुआ है। 2. यह कि मेरे पुत्र के आधार नंबर 9176 4741 2541 पर त्रुटि के कारण उसका नाम व पिता का नाम विराट धाकरे (VIRAT DHAKARE) पुत्र अजय धाकरे (AJAY DHAKRE) लिखा हुआ है। जो कि उसका गलत नाम है। 3. यह कि मुझे अपने पुत्र के आधार कार्ड पर उसका व पिता का सही नाम कुनाल धाकरे (KUNAL DHAKRE) पुत्र अजय धाकरे (AJAY DHAKRE) लिखवाना है, जिस हेतु म. प्र. के राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की आवश्यकता है। अतः प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावजों में मेरे पुत्र का व पिता का सही नाम कुनाल धाकरे (KUNAL DHAKRE) -पुत्र अजय धाकरे (AJAY DHAKRE) जाना, पहचाना, लिखा व पढ़ा जाएं एवं तदानुसार ही दर्ज किया जाये।

प्रेषक - अजय धाकरे
निवासी - विक्रम नगर वेयर हाउस रोड मुरैना, मुरैना म.प्र 476001 द्वारा - धर्मेन्द्र सिंह चौहान एडवोकेट (नोटरी भारत सरकार)
मो 99265 68987

NAME CHANGE

I, **Sukhdeep D/o Devendra Singh** R/o Doni ka math Post Maina Tehsil Bhitawar Dist. Gwalior Madhya Pradesh -475220 Do Hereby Solemnly Affirm And Declare As follows: - That I Am The Citizen Of India. That I Want to Change of Name **SUKHDEEP**, Aged 18 Years. That For Reasons of Mistek In Adhar Card, It is Necessary to Change The Name From **SUKHDEEP** to **SUKHPREET**. That Henceforth, For All Legal and Official Purposes, Shall Be Known By The **SUKHPREET**. That This Affidavit is Made For The Purpose Of Registering The Change Of Name And For All Other Lawful Purposes. That it is My True And Correct Statement. **Vide affidavit No. BX 287283 Date 29.06.2026**

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भूखण्ड क्रमांक 84 जिसका कुल क्षेत्रफल 633 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 93 राजस्व ग्राम सुनारपुरा खालसा का अंश होकर पटवारी हल्का क्रमांक 00030, श्री श्याम कॉलोनी, ग्राम सुनारपुरा खालसा, मुरार, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में अन्य की भूमि, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 85 एवं दक्षिण में प्लॉट कमांक 83 स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री प्रदीप निवासी ग्राम ढोंचरा, पोस्ट ढोंचरा, जिला भिण्ड, म.प्र. ने सम्पत्ति श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ग्याराम निवासी ग्राम सुनारपुरा खालसा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, सर्वे क्रमांक 93 राजस्व ग्राम सुनारपुरा खालसा की भूमि को विक्रेता / अनुबंधकर्ता अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से विकय अनुबंध-पत्र का निष्पादन आवेदिका के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो। **दिनांक: 02/07/2026.**

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान

(विश्वविद्यालय समतुल्य)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, भारत सरकार
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई - 400088
संपर्क विवरणः टेलीफ़ोनः 91-22- 42372468
ईमेल : admission@iipsindia.ac.in वेबसाइट : www.iipsindia.ac.in

प्रवेश घोषणा - शैक्षणिक वर्ष 2026-2027

सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि PG, Ph.D. तथा PDF पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि 15-07-2026 (प्रातः 11:00 बजे) तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी हेतु कृपया **www.iipsindia.ac.in** पर जाएँ।

निदेशक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर

जिले में 31 जुलाई तक मनेगा 'फसल बीमा माह' अभियान

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 02 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान बतौर 'फसल बीमा माह' मनाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान ऋणी एवं अऋणी कृषकों की अधिसूचित खरीफ फसलों का व्यापक स्तर पर बीमा कराया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक पात्र किसानों का फसल बीमा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्राम स्तर पर प्रभावी जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जाएँ, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।

खण्डन जाहिर सूचना

र्वसाधारण को मेरे पक्षकारगण दिनेश बंसल निवासी ःयाम पार्क साहिबाबाद, गाजियाबाद एवं बृजेश बंसल निवासी गोविंद कुंज, संजय कॉम्पलेक्स, लश्कर, ग्वालियर की ओर से जाहिर सूचना दिनांक 16.06.2026 का खण्डन निम्नानुसार किया जाता है कि प्रकाशित जाहिर सूचना पूर्ण रूप से मिथ्या एवं भ्रामक है तथा तथ्यों को छुपाकर प्रकाशन करवाई गयी है। वास्तविकता यह है कि राधेश्याम बंसल पुत्र स्व. श्री गोविंदराम बंसल एवं बसंत बंसल पुत्र श्री राधेश्याम बंसल निवासीगण गोविंद कुंज, संजय कॉम्पलेक्स के पीछे, लश्कर, ग्वालियर द्वारा एक वाद क्रमांक 42/2023 आर. सी. एस. ए. न्यायालय चर्तुदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जोकि निर्णय दिनांक 24.08.2024 के द्वारा निर्णित किया गया जिसके विरुद्ध मेरे पक्षकार दिनेश बंसल द्वारा व्यवहार अपील कमांक 248/2024 न्यायालय माननीय उन्नीसवे जिला न्यायाधीश ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो निर्णय दिनांक 18.07.2025 के द्वारा स्वीकार की गयी एवं राधेश्याम बंसल आदि का वाद निरस्त किया गया तत्पश्चात दिनांक 14.05.2026 को अवैध रूप से तथाकथित दानपत्र करवाया गया जिसमें श्री राधेश्याम बंसल साक्षी है इस कारण से झूठे रूप से सूचना प्रकाशित करवाई गयी है तथा जाहिर सूचना में मेरे पक्षकारगण के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये है वह पूर्ण रूप से मिथ्या एवं मनगढंत है तथा ऐसा दर्शित होता है कि किसी के बहकावे में आकर श्री राधेश्याम बंसल जी द्वारा सूचना प्रकाशित करवाई गयी है। मेरे पक्षकार दिनेश बंसल के पक्ष में माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है ऐसी स्थिति में मेरा पक्षकार अपनी संपत्ति का उपयोग व उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। मेरे पक्षकारगण अपने पिताजी का पूर्ण रूप से मान-सम्मान करते है परंतु मेरे पक्षकारगण के पिताजी द्वारा अकारण ही मेरे पक्षकार दिनेश बंसल के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था जोकि निरस्त हो चुका है। इसलिये श्री राधेश्याम बंसल द्वारा प्रकाशित जाहिर सूचना दिनांक 16.06.2026 से कोई भी व्यक्ति भ्रमित न हो। दिनांक - 02.07.2026

प्रेषकः अभिषेक बिंदल (एडवोकेट)
कार्यालय - दही मण्डी, लश्कर
ग्वालियर (म.प्र.), मोबा: 97535-46463

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरोज पत्नी निरंजन सिंह के आधिपत्य का एक भवन, जो सर्वे क्रं. 1013/2 के भाग पर निर्मित है, स्थित आमपुरा, वार्ड क्रं. 35, ग्राम -जोराखुर्द, तहसील व जिला मुरैना में है, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, तथा जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में - भूखण्ड रामजी लाल, पश्चिम में - 20 फुट रोड, उत्तर में - भूखण्ड रामलखन, दक्षिण में -भूखण्ड बैजन्ती। श्रीमती सरोज ने उक्त सम्पत्ति जरिये विक्रय पत्र पं. पं. दि. 08/02/2008 के द्वारा श्रीमती मीना परमार पत्नी वीरेन्द्र सिंह परमार से क्रय की है। श्रीमती मीना परमार ने उक्त सम्पत्ति जरिये विक्रय पत्र पं. क्रं. 2461 पं. दि. 21/09/2005 के द्वारा मुन्ना लाल पुत्र पंचम सिंह से क्रय की थी। मुन्ना लाल ने उक्त सम्पत्ति जरिये विक्रय पत्र पं. क्रं. 4616 पं. दि. 24/12/2004 के द्वारा ओम प्रकाश पुत्र देवीराम से क्रय की थी। सम्पत्ति स्वामी के अनुसार, उक्त सम्पत्ति का पूर्व असल विक्रय पत्र पं. क्रं. 2461 पं. दि. 21/09/2005 एवं असल विक्रय पत्र पं. क्रं. 4616 पं. दि. 24/12/2004 कहीं गुम हो गये हैं। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु श्रीमती सरोज ने वितीय संस्था में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पत्ति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धी भार, अनुबन्ध रखते हो या उपरोक्त वर्णित पूर्व असल विक्रय पत्र पं. क्रं. 2461 पं. दि. 21/09/2005 एवं असल विक्रय पत्र पं. क्रं. 4616 पं. दि. 24/12/2004 को पूर्व सम्पत्ति स्वामियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक या प्रायवेट फाइनेंसर के यहाँ बंधक रखकर ऋण लिया हो या किसी ऋण पेटे जमानत स्वरूप बंधक रखा हो या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दखल उपरोक्त सम्पत्ति में रखता हो तो उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में मय दस्तावेजो के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें, 7 दिवस पश्चात अगर श्रीमती सरोज का आवेदन वित्तीय संस्था के नियमों के अनुसार सही पाया जाता है तो वित्तीय संस्था उपरोक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर श्रीमती सरोज को ऋण प्रदान कर देगी। उसके पश्चात प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण का भार उपरोक्त सम्पत्ति पर सर्वप्रथम व एक मात्र होगा।

प्रेषकः कौशल पाराशर एवं सुमित तिवारी (एडवोकेट्स)
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट, जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर, ग्वालियर, मोबा: 98931-14325

आम सूचना

श्री सुनील जोशी पुत्र श्री देवीलाल जोशी के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन स्थित ग्राम करहिया, पोस्ट करहिया, तहसील चीनौर व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है एवं जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में रास्ता, पश्चिम में भवन जैन, उत्तर में भवन पप्पू प्रजापति एवं दक्षिण में रास्ता है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में ग्राम पंचायत करहिया, जनपद पंचायत भितरवार, जिला ग्वालियर के रिकॉर्ड प्रकरण क्र. 975 दिनांक 23.11.2026 के अनुसार, श्री सुनील जोशी पुत्र श्री देवीलाल जोशी के स्वत्व स्वामित्व की थी। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री सुनील जोशी द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती ममता जोशी पत्नी श्री सुनील जोशी के हित में सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री सुनील जोशी एवं श्रीमती ममता जोशी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री रूप सिंह कुशवाह पुत्र श्री खच्चूराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन क्र.943 स्थित ग्राम करहिया, पोस्ट करहिया, तहसील चीनौर व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो वार्ड क्र.19 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 1920 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में भवन श्री गुलाब, पश्चिम में भूमि श्री पंजाब, उत्तर में-भूमि श्री हरि सिंह एवं दक्षिण में रास्ता है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में ग्राम पंचायत करहिया, जनपद पंचायत भितरवार, जिला ग्वालियर के रिकॉर्ड प्रकरण क्र. 03 दिनांक 12.06.2025 के अनुसार, श्री रूप सिंह कुशवाह पुत्र श्री खच्चूराम के स्वत्व स्वामित्व की थी। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री रूप सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती पुष्पा कुशवाह पत्नी श्री रूप सिंह कुशवाह के हित में सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री रूप सिंह कुशवाह एवं श्रीमती पुष्पा कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती मनोरमा शर्मा पत्नी श्री बालकिशन शर्मा के स्वत्य, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.37, स्थित नेवी नगर, साँई धाम, ग्राम मालनपुर तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.63 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.967/मिन-1, 968, 969 ग्राम मालनपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में रास्ता, पश्चिम में भूखण्ड क्र. 15, उत्तर में भूखण्ड क्र.36 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.38 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती लॉगवती पत्नी श्री कोक सिंह के स्वत्य स्वामित्व की थी। श्रीमती लौंगवती का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री पूरन सिंह सिकरवार पुत्र श्री कोक सिंह सिकरवार उनके सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज कराया। श्री पूरन सिंह सिकरवार द्वारा सम्पत्ति 0.418 हैक्टेयर एरिया श्री रामलखन प्रजापति पुत्र श्री रतन लाल प्रजापति को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602020ए 1785772 दिनांक 25.11.2020 से विक्रय की गई। श्री रामलखन प्रजापति द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती सावित्री पत्नी श्री महेश कुमार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 142602021ए 1882638 दिनांक 21.10.2021 से विक्रय की गई। श्रीमती सावित्री द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती रीना राठौर पत्नी श्री अजय राठौर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602023012472674 दिनांक 17.10.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती रीना राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती मनोरमा शर्मा पत्नी श्री बालकिशन शर्मा को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602025ए 1158112 दिनांक 08.03.2025 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 21.10.2021 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती मनोरमा शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 21.10.2021 की मूलप्रति प्राप्त हों तो यह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) नियमावली, 2002 (संक्षेप में नियम के रूप में संदर्भित) के तहत शक्तियों के प्रयोग में और सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफेसी अधिनियम और नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी के पास निहित इसके बाद नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं की सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के अनुसरण में, अधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा सुरक्षित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है. इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि फीनिक्स ट्रस्ट FY26-14 (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (जिसे पहले फीनिक्स एआरसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स, 139/140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्रॉसिंग, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई- 400057 के पास बंधक रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति (दिनांक 29.12.2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से फीनिक्स के पक्ष में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ऋणों के असाइनमेंट के अनुसरण में) को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के नियमों के तहत देय राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे की स्थिति में' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.iiflonehome.com पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	प्रतीकात्मक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्रीमती मीरा देवी पटरोलिया श्री गौरव पटरोलिया (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10797601)	13/10/2025, रु. 11,77,404/- (रु. ग्यारह लाख सतहत्तर हजार चार सौ चार मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो निम्न प्रकार का है- प्लॉट संख्या 142, श्री गणेश कॉलोनी फेज-2, सर्वे संख्या 75/1/1 और 75/1/2, वार्ड संख्या 66, ग्राम-बरुआ पिछोरे, तहसील और जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन संख्या 474003 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 800.00, 450.00, 500.00	19/05/2026 दिनांक 20/06/2026 तक कुल बकाया राशि रुपये 12,56,047.09 (रु. बारह लाख छप्पन हजार सैंतालीस और पैसा नौ मात्र)	रुपये 13,60,000 (रु. तेरह लाख साठ हजार मात्र) बयाना जमा रुपये 1,36,000 (रु. एक लाख छत्तीस हजार मात्र)
श्री चंद्रप्रकाश श्रीमती ममता राजे (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10339722)	17/03/2025, रु. 20,26,091/- (रु. बीस लाख छब्बीस हजार इक्यानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग जिसका पता है- प्लॉट संख्या 25, वार्ड संख्या 26, भाग सर्वे संख्या 337/2, 340/2, 343/4, साई सिटी ग्राम जदेरुआ कलां, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 474006. क्षेत्रफल वर्ग फुट में- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल- 875.00, 1000.00, 850.00	भौतिक कब्जा 11-3-2026 दिनांक 20/06/2026 तक कुल बकाया राशि रु. 24,26,942.07 (रु. चौबीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ बयालीस और पैसा सात मात्र)	रुपये 27,50,000 (रु. सत्ताइस लाख पचास हज़ार मात्र) बयाना जमा रुपये 2,75,000 (रु. दो लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

संपत्ति निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
3/8/2026 11.00-14.00 बजे	5/8/2026 के 5.00 बजे तक	7/8/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध भुगतान लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोटः-** प्रत्येक संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे है, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते है. **शेष भुगतान के लिए - लॉगिन करें https://www.iiflonehome.com > (My Bid) > (Pay Balance Amount)**

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर अग्रिम रूप से अपना विवरण पंजीकृत करना होगा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी से पहले ईएमडी का भुगतान जमा करना होगा. भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई-टेंडर फॉर्म/बोली फॉर्म (ई-साइन) जमा करना आवश्यक है.
2. बोलीदाता कॉलम 'बोली वृद्धि राशि' के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करेंगे. यदि नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा और बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान मोड में होने चाहिए.
4. खरीदार को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक देय राशि या अन्य देय राशि जैसे कि नगर निगम कर, भूमि के हस्तांतरण या ट्रांसफर से जुड़ी लागतें और संपत्ति से संबंधित करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे.
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले विस्तृत नियमों और नीलामी बिक्री की शर्तों एवं नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर जाएं.
6. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी- care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबरः @ 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
7. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 18.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं या care@iiflonehome.com / customercare.retail@phoeni&arc.co.in पर ई-मेल कर सकते हैं.
8. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में रखी घरेलू वस्तुओं को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड किसी भी परिस्थिति में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
9. इसके अलावा उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
10. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी चरण में भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी, और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को दोबारा बिक्री के लिए रखा जाएगा.
11. एओ बिना कोई कारण बताए टेंडर/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. टेंडर/नीलामी में किसी भी विवाद के मामले में, फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड के एओ का निर्णय अंतिम होगा.
12. ईएमडी के बिना प्राप्त बोलियों/टेंडरों को अमान्य माना जाएगा. ईएमडी को टेंडर खुलने/नीलामी की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा. बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी पर कोई ब्याज पाने के हकदार नहीं होंगे.
13. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी के लिए बोली लगाने में भाग ले सकते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित स्वयं बोलीदाता को करनी होगी. फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड / सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.
14. कुल बकाया राशि ऋण बंद करने की राशि नहीं है. अन्य सभी शुल्कों (यदि कोई हों) की गणना ऋण बंद करने के समय की जाएगी.
15. बोलीदाता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि हमारी वेबसाइट https://www.iiflonehome.com में बोली के आवेदन के समय दर्ज किया गया नाम ही अंतिम होगा और बिक्री प्रमाण पत्र के साथ उच्चतम बोली पत्र बिना किसी अपवाद के उसी नाम से पंजीकृत किया जाएगा.
16. फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड सर्वोत्तम प्रस्ताव का निर्णय करेगी और निविदाएं खोलने के बाद बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने का अधिकार और विवेक सुरक्षित रखती है और प्रस्ताव में सुधार के लिए उच्चतम बोली प्राप्त करने के बाद भी अंतर-बोली की अनुमति देने और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है. टेंडर/नीलामी/ई-नीलामी विफल होने की स्थिति में, फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड कानून के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
17. इच्छुक बोलीदाताओं को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले निरीक्षण, शीर्षक और भार सहित संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र उचित सावधानी बरतें.
18. रख-रखाव शुल्क, बिल्डर या सोसायटी देय राशि, संपत्ति कर, उपयोगिता शुल्क और कोई अन्य वैधानिक या गैर-वैधानिक देय राशि, चाहे इस नोटिस के समय ज्ञात हो या अज्ञात हो, सहित संपत्ति के प्रति कोई भी और सभी शुल्क, देनदारियां, या दायित्व पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों का बिक्री नोटिस

उधारकर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और प्रासंगिक खर्चों के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी.

स्थान: ग्वालियर
दिनांक: 3-जुलाई-2026
हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं.2041, स्थानः फ्लैट क्र एफ.ओ-404, रामविलास रेसीडेन्सी, पाटनकर का बाड़ा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती संगीता शर्मा / श्री महेश शर्मा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000210493 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A100728911** दिनांक 16.06.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं.71/2010/59086/59277/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
शिवानी शर्मा / श्री करन अरोरा
पताः फ्लैट क्र एफ.ओ-404, रामविलास रेसीडेन्सी, पाटनकर का बाड़ा, वार्ड-39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं..., स्थानः गिर्राज कॉलोनी ग्राम कोटा लश्कर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मनोज निधार / श्री रतनलाल निधार के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1003879334 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A11952914** दिनांक 07.06.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 29.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/59057/59248/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती मनीषा सविता / श्री संदीप सविता
पताः गिर्राज कॉलोनी ग्राम कोटा लश्कर, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. 3181, स्थानः बेलदारपुरा कोटा लश्कर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती वर्षा काकवानी / श्री दिलीप काकवानी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000238403 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A1225727** दिनांक 31.03.2018 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे. क्रं. 17 पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं.71/2010/59079/59270/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती मिथलेश कुशवाह / श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह महेन्द्र सिंह कुशवाह / श्री रतीराम कुशवाह
पताः बेलदारपुरा कोटा लश्कर, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 37, भवन क्रं. 839, स्थानः ए.बी. रोड़ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रमनलाल सिंघल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सिंघल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000105109 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 4158 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. मृत्युउपरांत (वसीयत) के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39304/61486/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती गंगा देवी सिंघल / स्व. श्री रमनलाल सिंघल
पताः ए.बी. रोड़, वार्ड-37
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. ..., स्थानः वीरपुर सांई विहार पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती प्रवीण अग्रवाल / विष्णु कुमार अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000260924 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 847 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **MP142602020 A1337493** दिनांक 27.06.2020 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 23.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. ..प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
जयवीर सिंह बघेल, मनोज सिंह बघेल / नवल सिंह बघेल
पताः वीरपुर सांई विहार, मोबाः 8966815709
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. ..., स्थानः अजयपुर मेहदापुरा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती विमला / स्व. बीरम सिंह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1004033498 का भाग पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 656 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **R-0207250 0944246** दिनांक 02.07.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 10.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. ..प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
कमलेश कुशवाह / ओमप्रकाश कुशवाह
पताः अजयपुर मेहदापुरा, वार्ड-65
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. 3383, स्थानः टॉवर वाली गली, शंकर कॉलोनी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती सुघर सिंह राज / श्री मनीराम राज उर्फ मटटेराम के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000241336 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **A100266388** दिनांक 08.03.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/ 59077/59268/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
कुलदीप कन्नौजिया / श्री फूलसिंह कन्नौजिया
पताः टावर वाली गली, शंकर कॉलोनी, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं..., स्थानः ढ़ोली बुआ का पुल, बजरिया पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती शशि किरण सिन्हा / श्री दिनेश चन्द्र सिन्हा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000147734 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 563 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्र. **A300616109** दिनांक 16.07.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 02.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/59076/59267/प्र.क्रं.***3/11** है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
दिव्यानी श्रीवास्तव / श्री मानव श्रीवास्तव
पताः ढ़ोली बुआ का पुल, बजरिया, वार्ड-39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः **02-07-2026**